



मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

मंडल के निदेशकों के लाभार्थ प्रशिक्षण नीति

1.0 प्रस्तावना

इस नीति में, प्रवर्तकों/वित्तीय संस्थाओं/भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और नामिती निदेशकों समेत मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

2.0 एमआरपीएल के मंडल की संरचना

एमआरपीएल के निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम मिश्रण है जिसमें कम से कम 50% गैर-कार्यकारी निदेशकों को शामिल किया जाता है।

3.0 मंडल के सदस्यों का प्रोफाइल

भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यात्मक निदेशक, एमआरपीएल के वरिष्ठ स्तर के कार्यपालक हैं जिनको न केवल अपने कामकाज के प्रमुख क्षेत्र में पेशेवर अनुभव है बल्कि कंपनी के व्यावसायिक मॉडेल में गहरा तजुर्बा भी है। साथ ही, ओएनजीसी और एचपीसीएल द्वारा नामित नामिती निदेशक भी पेशेवर हैं और इनको उद्योग के प्रमुख क्षेत्र में असीम ज्ञान और अनुभव है। भारत सरकार के नामिती, अपने पेशे के लिहाज से अर्हता प्राप्त अधिकारी हैं जिनको प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव है। स्वतंत्र निदेशक, जानी मानी हस्तियां हैं जिनको कारोबार, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन में व्यापक तजुर्बा है।

4.0 निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देश और लिस्टिंग संबंधी करारनामा

4.1 डीपीई के दिशानिर्देश:

भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक प्रतिष्ठान मंत्रालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशानिर्देश 2010 में, निदेशकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में इस प्रकार का प्रावधान है:

खंड 3.7 निदेशकों का प्रशिक्षण

संबद्ध कंपनी को, मंडल में नए सिरे से शरीक हुए सदस्यों (कार्यात्मक, सरकारी, नामिती और स्वतंत्र) के लाभार्थ, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल सहित कंपनी के कारोबार मॉडेल, संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी और इन जिम्मेदारियों को निभाने के तौर-तरीकों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना होगा। मंडल के इन सदस्यों को कंपनी अभिशासन, संबंधित निदेशकों के लिए लागू आदर्श व्यावसायिक नीति और आचरण संहिता के बारे में भी प्रशिक्षित करना होगा।

4.2 लिस्टिंग संबंधी करार:

आगे, शेयर बाजारों के साथ किए गए लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 के अनुबंध-1 डी के अनुसार गैर-आज्ञापक अपेक्षाओं में, निदेशकों को प्रशिक्षित करने के बारे में नीचे बताए गए अनुसार प्रावधान है:

मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी, अपने मंडल के सदस्यों की खातिर, कंपनी के कारोबार मॉडेल और कंपनी के व्यावसायिक मापदंडों के जोखिम प्रोफाइल, निदेशकों की हैसियत, उनकी जिम्मेदारियों और इन जिम्मेदारियों को बेहतरीन ढंग से निभाने के तौर-तरीकों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकती है।

5.0 प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाएं

मंडल के निदेशकों के उक्त परिच्छेद 3.0 में यथा निर्दिष्ट विविध प्रकार के प्रोफाइल को देखते हुए, निदेशकों की प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाएं भी अलग-अलग होंगी। तदनुसार, एमआरपीएल में, निदेशकों के लिए निम्नानुसार दो स्तरीय प्रशिक्षण नीति अपनाई जाए:

5.1 आंतरिक प्रशिक्षण

5.1.1 निदेशकों को एमआरपीएल के नियमों और विनियमों के बारे में अभ्यस्त कराने की दृष्टि से, मंडल में कदम रखने पर निदेशकों को नीचे उल्लिखित दस्तावेज दिए जाएंगे:

- (i) कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियम
- (ii) कंपनी की पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
- (iii) एमआरपीएल के शेयरों में लेन-देन करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने संबंधी आचरण संहिता
- (iv) मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों के लिए आचरण संहिता
- (v) सीपीएसई के मंडल पर गैर-सरकारी निदेशकों की, डीपीई द्वारा निर्दिष्ट आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियां
- (vi) कोई अन्य संबंधित दस्तावेज

5.1.2 भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों और सरकारी नामितियों का आगमन होते ही एमआरपीएल के व्यावसायिक मॉड्यूल, जोखिम प्रोफाइल, निष्पादन, योजनाओं आदि के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण पेश किया जाएगा। एमआरपीएल के मंडल पर पहली बार नियुक्त हुए निदेशकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5.1.3 अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों और सरकारी नामितियों की सुविधानुसार, एमआरपीएल के कामकाज के बारे में अभ्यस्त होने के लिए मंगलूर में एमआरपीएल रिफाइनरी और अन्य संरचनाओं एवं उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण कराने की व्यवस्था की जाएगी।

5.1.4 चलते रहे प्रशिक्षण के एक अच्छे उपाय के तौर पर, निदेशकों को, निदेशक मंडल की बैठक में तथा निदेशकों की समिति की बैठकों में संयंत्र के प्रचालन, तकनीकी पहलुओं, जोखिम निर्धारण और जोखिम कम करने संबंधी पद्धतियों और क्रियाविधियों, सुरक्षा स्नैपशॉट्स, वित्त, विपणन, मा.सं आदि सहित कारोबार से जुड़े तमाम मुद्दों और कंपनी की प्रस्तावित नई पहल के बारे में प्रस्तुतीकरण और लिखित सामग्री के जरिए अद्यतन जानकारी दी जाएगी.

5.2 बाह्य प्रशिक्षण

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों, सरकारी नामितियों और कार्यात्मक निदेशकों की सुविधानुसार, इनको, निदेशक संस्थान (आईओडी), सार्वजनिक प्रतिष्ठान के स्थाई सम्मेलन (स्कोप), कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए), सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (डीपीई), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), सार्वजनिक प्रतिष्ठान संस्थान (आईपीई), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के तत्वावधान में कंपनी अभिशासन, व्यावसायिक नीति और आचरण, निदेशकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, नेतृत्व में उत्कृष्टता, बेहतरीन निष्पादन दर्शाने वाले संगठन का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, तरक्की करने के लिए रणनीतियां, प्रतिस्पर्धात्मक निष्पादन, मंडल कक्ष में पद्धतियां, जोखिम प्रबंधन और जोखिम मिटाना, संधारणीय विकास, कंपनी का सामाजिक दायित्व आदि जैसे विषयों पर संचालित विभिन्न प्रशिक्षणों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, सभाओं में नामित किया जाएगा.
